झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 436 / 2023

बिनायक कुमार, उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय ब्रज किशोर कुमार, निवासी प्लॉट संख्या बी-1, फेज-1, औद्योगिक क्षेत्र (पुराने यूबीआई के पास) बालीडीह, डाकघर एवं थाना.- बालीडीह, जिला- बोकारो, झारखंड, पिन- 827014

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. मनोज कुमार सिंह, उम्र लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अंबिका प्रसाद सिंह, निवासी क्वार्टर संख्या 814, सेक्टर 3/डी, डाकघर एवं थाना- बोकारो स्टील सिटी, जिला- बोकारो, झारखंड, पिन -827003

.... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से:	श्री नितिन कुमार पसारी, अधिवक्ता
प्रतिवादी-राज्य की ओर से:	श्री जैद इमाम, एसी टू एससी VII
	श्री पूर्णेंदु शरण, एसी टू एससी VII

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:-दोनों पक्षों को सुना गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई भी बार-बार बुलाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आहवान करते हुए दायर की गई है, जिसमें दिनांक 24.06.2023 के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान जेएमएफसी-सह-सिविल जज, जूनियर डिवीजन, बोकारो द्वारा शिकायत

मामला संख्या 57/2023 के संबंध में आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नीलामी में रखी गई संपत्ति का क्रेता है, जो शिकायतकर्ता और उक्त बैंक के ऋणी के बीच हुए समझौते की शर्तों और नियमों का उल्लंघन है और बैंक और बोकारो स्टील प्लांट (सेल) की संपत्ति, जिसे नीलामी में बेचा गया, बोकारो स्टील प्लांट की संपत्ति थी और यह शिकायतकर्ता के पास लाइसेंस के तहत थी और इसे ऋण की अदायगी में किसी भी चूक के खिलाफ सुरक्षा के रूप में पेश किया गया था, जो शिकायतकर्ता बोकारो स्टील प्लांट और पंजाब नेशनल बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप था। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर सिस्टम में कुछ हेरफेर किया और नीलामी बिक्री में संपत्ति खरीदी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन बोली में भाग लिया था और उसे सफल घोषित किया गया था और बिक्री प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्विवाद तथ्य यह है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 को उचित नोटिस के बाद, उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट, बोकारो द्वारा याचिकाकर्ता को संपत्ति पर कब्जा देने के लिए दिनांक 11.03.2020 के आदेश के तहत आदेश पारित किया गया था और उसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को जुलाई 2020 में संपत्ति पर कब्जा दे दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने विपक्षी पक्ष संख्या 2 का कब्जा बहाल कर दिया है, लेकिन बैंक द्वारा प्रस्तुत अपील इलाहाबाद में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में है। यह भी दलील दी गई है कि यदि कोई लापरवाही हुई है तो वह बैंक के अधिकारियों की ओर से है और याचिकाकर्ता ई-नीलामी नोटिस प्रकाशित होने के बाद ही सामने आया और उसके बाद ही याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया। आगे यह भी कहा गया है कि धारा 120बी या उससे संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिए बिना विद्वान मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेकर घोर अवैधता की है, याचिकाकर्ता भी दोषी नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी तरह की संपत्ति सौंपने का कोई आरोप नहीं है

और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी को धोखा देने और किसी को संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करने का कोई आरोप नहीं है और याचिकाकर्ता के खिलाफ दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में गलत जानकारी तैयार करने का कोई आरोप नहीं है और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक सफल बोलीदाता था और उसने संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी में संपत्ति खरीदी थी, उसे इस मामले में बदला लेने के लिए फंसाया गया है। **हाजी इकबाल @ बाला थ्रू एसपीओए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के** मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। और अन्य। 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 946 में रिपोर्ट की गई, जिसका पैरा 15 इस प्रकार है:-

*"**15**. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण बात पर गौर करना चाहेंगे।जब भी कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करवाने के लिए आता है, तो मुख्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को ध्यान से और थोड़ा और बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने आदि के गुप्त उद्देश्य से अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत सभी आवश्यक दलीलों के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध को बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा करते हों। इसलिए, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि कथित अपराध को बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं, अदालत के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, अदालत का यह कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने की कोशिश करे। न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग*

करते समय खुद को केवल मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरूआत/पंजीकरण के लिए समग्र परिस्थितियों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को भी ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए वर्तमान मामले को लें। समय की अवधि में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कई एफआईआर दर्ज करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कथित तौर पर निजी या व्यक्तिगत रंजिश से बदला लेने का मुद्दा सामने आता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ यह झूठा मामला केवल इसलिए बदला लेने के उद्देश्य से शुरू किया है क्योंकि उसने सार्वजनिक नीलामी में संपत्ति खरीदी थी, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत केस संख्या के संबंध में दिनांक 24.06.2023 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही। 57/2023 को निरस्त किया जाए और अपास्त किया जाए।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य को याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत मामला संख्या 57/2023 के संबंध में दिनांक 24.06.2023 के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यह न्यायालय इस सुविचारित दृष्टिकोण पर है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा उसे कोई संपत्ति सौंपे जाने का कोई आरोप नहीं है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायतकर्ता को बहकाने और उसके साथ धोखाधड़ी करने का कोई आरोप नहीं है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गलत तरीके से तैयार करने का कोई आरोप नहीं है, न ही ऐसा कोई आरोप है कि याचिकाकर्ता ने कोई जाली दस्तावेज इस्तेमाल किया है।

7. ऐसी परिस्थितियों में और ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भले ही शिकायत में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप, सोलेमन एफर्मिशन के तहत बयान और जांच गवाहों के बयान को पूरी तरह से सच माना जाता है, फिर भी याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित कोई भी अपराध नहीं किया गया है, जिसके संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और याचिकाकर्ता के

खिलाफ समन आदेश भी पारित किया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जहां शिकायत मामला संख्या 57/2023 के संबंध में दिनांक 24.06.2023 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

8. तदनुसार, शिकायत मामला संख्या 57/2023 के संबंध में दिनांक 24.06.2023 के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही 57/2023 को निरस्त कर अपास्त किया जाता है।

9. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 20 दिसंबर, 2023
स्मिता / एएफआर

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।